भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1172

दिनांक 03 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

1172. श्री राजू बिष्टः

श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेष रूप से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में लाभार्थियों की संख्या सहित योजना की शुरुआत के पश्चात् से पशुपालन और मत्स्यपालन क्षेत्रों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने का ब्यौरा क्या है;

(ख) ब्याज दरें, ऋण सीमा और पुनर्भुगतान शर्तों सहित इन क्षेत्रों के लिए केसीसी योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए विशिष्ट लाभों और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रासंगिक आंकड़ों द्वारा समर्थित पशुपालन और मत्स्यपालन में रत किसानों की उत्पादकता और आय पर केसीसी योजना के प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केसीसी जारी करने के उपायों के क्षेत्रीय वितरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए संचालित केसीसी की संख्या और उसके साथ दिनांक 30.09.2024 तक बकाया राशि का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है। जिला-वार आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) किसान क्रेडिट कार्ड एक बचत-सह-ऋण उत्पाद है। वर्ष 2019 में, केसीसी योजना को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन की कार्यशील पूंजीगत की आवश्यकता को कवर करने के लिए विस्तारित किया था। बैंक 1.60 लाख रु. तक कोलैटरल फ्री लोन प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की "संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना" के अंतर्गत केसीसी कार्डों पर पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूंजीगत आवश्यकता पर बैंकों को 1.5 प्रतिशत की ब्याज सबवेंशन और किसानों को 3 प्रतिशत का शीघ्र चुकौती प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। ऋण एक वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रदान किए जाते हैं।

(ग) केसीसी का लाभ उठाकर किसान रियायती ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजीगत ऋण प्राप्त कर पाते हैं, जो उन्हें पशुपालन, पोल्ट्री और मत्स्यपालन जैसे कार्यकलापों के लिए अपनी अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। यहां तक कि किसानों के पास भी पशुधन बीमा, व्यक्तिगत बीमा, संपत्ति बीमा और स्वास्थ्य बीमा (जहां भी उत्पाद उपलब्ध है) का लाभ लेने का विकल्प है। यह ऋण परिक्रामी (रिवॉलविंग) नकद ऋण के रूप में होता है, जिससे किसान अपने नकदी प्रवाह और आय सृजन पैटर्न के आधार पर आवश्यकतानुसार निधि निकालने और चुकाने में सक्षम होते हैं। ऋण के संस्थागत स्रोतों के माध्यम से इन वित्तीय लाभों को सुनिश्चित करके, केसीसी योजना किसानों को बेहतर संसाधनों में निवेश करने, उत्पादकता में सुधार करने और अंततः उनकी आय बढ़ाने में मदद करती है।

(घ) केसीसी योजना तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, यह विभाग वित्तीय सेवा विभाग और राज्य पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग के सहयोग से वर्ष 2020 से राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान चला रहा है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों की भूमिका को परिभाषित करते हुए अभियान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इसके अलावा, कई अन्य अभियान भी आयोजित किए गए हैं जैसे घर घर केसीसी अभियान, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, पीएम जनमन, पीएम फसल बीमा योजना, आदि। नाबार्ड ने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदर्शन के लिए सात क्षेत्रीय भाषाओं में केसीसी पर एक फिल्म भी रिलीज की है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए यू ट्यूब पर अपलोड की है।

******

अनुबंध

उत्तर के भाग (क) में संदर्भित पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए संचालित केसीसी का राज्यवार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.स.	राज्य	पशुपालन		मत्स्यपालन	
		संचालित केसीसी की संख्या	बकाया राशि	संचालित केसीसी की संख्या	बकाया राशि
1.	दिल्ली	209	1.75	107	0.58
2.	हरियाणा	216,482	3,126.41	637	9.66
3.	हिमाचल प्रदेश	69,823	630.38	1,451	16.24
4.	जम्मू और कश्मीर	219,754	1,420.69	636	6.06
5.	पंजाब	379,902	5,290.47	859	15.16
6.	राजस्थान	628,648	7,350.61	1,226	13.01
7.	चंडीगढ़	382	17.57	-	-
8.	लद्दाख	7,844	84.79	17	0.22
9.	अरुणाचल प्रदेश	123	1.67	66	0.58
10.	असम	13,448	193.24	1,926	17.48
11.	मणिपुर	1,938	15.48	310	3.82
12.	मेघालय	2,083	11.08	206	0.71
13.	मिजोरम	23,924	259.29	380	5.13
14.	नागालैंड	562	1.48	46	0.38
15.	सिक्किम	2,842	17.27	117	1.12
16.	त्रिपुरा	5,262	33.52	3,163	14.98
17.	अंडमान और निकोबार द्वीप समुह	811	3.65	657	2.12
18.	बिहार	290,061	1,461.65	808	11.75
19.	झारखंड	16,768	69.78	1,154	7.83
20.	ओडिशा	30,119	167.37	2,238	90.40
21.	पश्चिम बंगाल	84,142	506.31	4,565	72.41
22.	छत्तीसगढ़	21,119	209.54	1,394	15.59
23.	मध्य प्रदेश	220,537	2,684.29	6,393	19.85
24.	उत्तराखंड	49,649	386.43	513	6.72
25.	उत्तर प्रदेश	612,266	5,682.47	5,455	66.54
26.	गोवा	1,447	28.44	545	11.88
27.	गुजरात	474,965	6,301.03	9,280	290.74
28.	महाराष्ट्र	104,948	1,572.64	6,547	62.06
29.	दादरा और नगर हवेली और दमन तथा दीव	110	1.19	560	25.04
30.	आंध्र प्रदेश	182,591	2,121.47	14,399	2,647.84
31.	तेलंगाना	11,752	259.16	1,679	16.50
32.	कर्नाटक	220,805	1,769.08	5,819	77.41
33.	केरल	87,642	1,093.07	10,950	217.20
34.	पुडुचेरी	5,969	74.13	3,272	55.64
35.	तमिलनाडु	713,732	9,255.47	39,714	739.16
36.	लक्षद्वीप	664	5.78	1,000	10.65
कुल योग		**4,703,323**	**52,108.68**	**128,089**	**4,552.44**

स्रोतः आरबीआई और नाबार्ड